भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3351
गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन,1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

तिरुचिरापल्ली विमानपत्तन के लिए प्वाइंट ऑफ कॉल की स्थिति

3351. श्री दुरई वाइको:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत और खाड़ी देशों के बीच द्वि पक्षीय हवाई सेवा समझौते (बीएएसए) में तिरुचिरापल्ली को प्वाइंट ऑफ कॉल विमानपत्तन घोषित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): अन्य देशों की नामित विमानन कंपनियों को प्वाइंट ऑफ कॉल (पीओसी) प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत और अन्य देशों के बीच समय-समय पर हवाई सेवाओं पर हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में, भारत सरकार गैर-मेट्रो स्थानों से भारतीय वाहकों द्वारा सीधे अथवा अपने स्वयं के परिचालन के माध्यम से अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा दे रही है। तदनुसार, तिरुचिरापल्ली सहित गैर-मेट्रो स्थानों को किसी भी विदेशी एयरलाइन को विमान सेवा करार (ए.एस.ए.) में नए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है।

******